कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास (म0प्र0)

–:: विज्ञप्ति ::–

सर्व साधारण को इस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय परिसर देवास में पार्किंग स्टेण्ड का संचालन किया जाना है।

अतः इस विज्ञप्ति की निविदा शर्तो के अधीन जो संस्था या व्यक्ति जिला न्यायालय भवन परिसर, देवास में पार्किंग स्टेण्ड का संचालन करना चाहता है, वे कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास में कार्य–दिवस के दौरान निविदाओं की आवश्यक शर्तो की जानकारी प्राप्त कर शर्तो के अनुसार सीलबंद निविदा अंतिम तिथि दिनांक **09.09.2022 को दोपहर 03:00 बजे** तक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास के कार्यालय में प्रेषित करें। नियत समयावधि उपरांत प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।

निविदा दिनांक 09.09.2022 को दोपहर 03:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक खोली जावेगी। नीलामी की प्रक्रिया दिनांक 10.09.2022 को दोपहर 03:00 से 5:00 बजे तक की जाएगी।

इस हेतु विस्तृत विवरण कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की अधिकारिक वेबसाईट www.mphc.gov.in पर भी देखा जा सकता है।

13.8.22

(प्रभात कुमार मिश्रा)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
देवास म.प्र.

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास (म0प्र0)

विषय :– जिला न्यायालय भवन देवास की बिल्डिंग में स्थित पार्किंग स्टेण्ड हेतु निविदा।

जिला न्यायालय भवन देवास की बिल्डिंग में स्थित पार्किंग स्टेण्ड संचालन हेतु प्रतिष्ठित, पंजीकृत, प्रामाणिक, अनुभवी और पात्र फर्म या व्यक्ति, जिन्होंने समान कार्य किया है या सरकार में पार्किंग स्टेण्ड चला रहे हैं, से सीलबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। अर्ध–सरकारी संगठन या सार्वजनिक/निजी संस्थान/संगठन और इस निविदा दस्तावेज में अन्य सभी नियमों और शर्तो को पूरा करने वाले निविदाकर्ता/अधोहस्ताक्षरकर्ता जिला न्यायालय देवास में नियत समयावधि में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत समयावधि उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

निर्धारित निविदा प्रारुप/फॉर्म, जिसमें नियम और शर्ते उच्च न्यायालय की वेबसाईट www.mphc.gov.in पर उपलब्ध है। आवेदक/निविदाकर्ता उक्त वेबसाईट से निविदा प्रपत्र/आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते है। बैंक ड्राफ्ट, कार्य अनुभव की प्रति और पैन नंबर ''प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास'' के पक्ष में निविदा के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है :–

अर्नेस्ट मनी/सिक्योरिटी डिपॉजिट की लागत	रुपये 5,000/–
परफार्मेन्स गारण्टी/सुरक्षा निधि	रुपये 40,000/–
निविदा प्रपत्र का मूल्य	रुपये 1,000/–
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 09.09.2022 को दोपहर 3 बजे
निविदा खुलने का समय	दिनांक 09.09.2022 को दोपहर 03:00 बजे से सायं 05:00 बजे
नीलामी का समय	दिनांक 10.09.2022 से दोपहर 03:00 से सायं 05:00 बजे

नोट : अर्नेस्ट मनी एवं निविदा प्रपत्र के मूल्य का भुगतान ''प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास'' के पक्ष में आहरित पृथक–पृथक बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से करना होगा। इनके बिना निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।

13.8.22

(प्रभात कुमार मिश्रा)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
देवास म.प्र.

कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास (म0प्र0)

जिला न्यायालय भवन परिसर, देवास में वाहन स्टेण्ड संचालन करने हेतु

निविदा प्रलेख

जिला न्यायालय भवन परिसर, देवास में एक वर्ष की अवधि के लिये वाहन स्टेण्ड संचालन हेतु इच्छुक आवेदकों से निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 09.09.2022 निर्धारित की गई है। प्राप्त समस्त निविदायें दिनांक 09.09.2022 को सायं 5:00 बजे खोली जावेगी।

निविदाकार का नाम ....

पता ....

फोन नंबर ....

वाहन स्टेण्ड संचालन करने संबंधी विस्तृत विवरण एवं शर्तें निम्नानुसार है :—

विवरण एवं शर्तें

01. वाहन स्टेण्ड हेतु बतौर सुरक्षा निधि/परफार्मेन्स गारण्टी निर्धारित रुपये 40000/— की एफ.डी.आर. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास के नाम से एक वर्ष की अवधि के लिये आवंटित होने पर प्रस्तुत करना होगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा, जो निविदा अवधि समाप्त होने के उपरांत निविदाकर्ता को वापस की जावेगी।

02. निविदाकर्ता को निविदा प्रपत्र के साथ निविदा फार्म का मूल्य रुपये 1000/— डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा ''प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास'' के पक्ष में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा को विचार में नहीं लिया जाएगा।

03. निविदाकर्ता को निविदा दो लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा। जिसमें एक लिफाफे 5,000/— रुपये के अर्नेस्ट मनी/सिक्योरिटी डिपॉजिट के डिमाण्ड ड्राफ्ट का उल्लेख एवं दूसरे लिफाफे में ''निविदा प्रपत्र'' का उल्लेख करना होगा, जिसमें

निविदा प्रपत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेज रखे जाएगे। अर्नेस्ट मनी/सिक्योरिटी डिपॉजिट के साथ ही निविदा प्रपत्र के मूल्य का डिमाण्ड ड्राफ्ट भी रखना होगा।

04. निविदाकर्ता/लाईसेंसधारक को न्यूनतम रुपये 30,000/- (अक्षरी रुपये तीस हजार प्रतिमाह) प्रतिमाह राशि के रुप में, देवास में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में देय ''प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास'' के पक्ष में जारी डिमाण्ड ड्राफ्ट पर प्रस्तुत करना होगा। निविदा उन बोलीदाताओं के बीच स्वीकार की जाएगी, जो इस निविदा के तहत वार्षिक लाईसेंस शुल्क के लिए उच्चतम राशि की बोली लगाएंगे।

05. मात्र उन्हीं निविदाकर्ताओं की निविदा मान्य की जाएगी जो अर्नेस्ट मनी/सिक्योरिटी डिपॉजिट देवास में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में देय ''प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास'' के पक्ष में जारी डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रस्तुत करेंगे। सफल निविदाकार का अर्नेस्ट मनी/सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि अनुबंध समाप्ति के पश्चात् वापस कर दी जावेगी।

06. निविदा फार्म के साथ रुपये 5000/- का बैंक ड्राफ्ट अर्नेस्ट मनी के रुप में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास के नाम से जमा करनी हागी, जो कि निविदा स्वीकृत न होने की दशा में वापसी योग्य होगी। निविदा स्वीकृति उपरांत निविदा की शर्तो के अनुसार अनुबंध–पत्र (ठेका कार्य) निष्पादित न करने की दशा में अर्नेस्ट मनी बिना सूचना के जब्त कर ली जाएगी तथा नई निविदा प्रक्रिया का खर्च व क्षति राशि वसूली की जाएगी।

07. वाहन स्टेण्ड संचालन की अनुज्ञा एक वर्ष के लिये दी जाएगी और प्राप्त निविदाओं में से निविदाकर्ता की साख, कार्यानुभव व आचरण पर विचार करते हुये निविदा स्वीकार/अस्वीकार की जाएगी, इस संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा, जिसकी सूचना प्रधान जिला न्यायालय के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जावेगी। समिति का निर्णय निविदाकर्ता को सूचित करने की बाध्यता नहीं होगी।

08. वाहन स्टेण्ड के संचालन का पंजीयन सक्षम प्राधिकारी के समक्ष नियमानुसार करना आवश्यक होगा।

09. निविदाकर्ता/लाईसेंसधारक द्वारा आवेदन के साथ कार्य के अनुभव के संबंध में सरकारी/अर्ध–सरकारी संगठन या सार्वजनिक/निजी संस्थान/संगठन अस्पतालों आदि में साईकिल चलाने का कम से कम दो साल का अनुभव होना चाहिए। अनुभव के संबंध में संबंधित प्रमाण निविदा के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है। **(दस्तावेज संलग्न करें)**

10. मासिक प्रीमियम राशि लगातार तीन माह तक जमा न किये जाने की की दशा में तथा निर्धारित पार्किंग शुल्क से अधिक शुल्क लिये जाने की दशा में सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर ठेका तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा।

11. निविदाकर्ता/लाईसेंसधारक नगर निगम और पार्किंग स्टेण्ड चलाने के लिये आवश्यक अन्य सक्षम अधिकारियों से प्रमाण–पत्र/लाईसेंस प्राप्त करेगा। **(दस्तावेज संलग्न करें)**

12. निविदा प्रपत्र के साथ निविदा प्रपत्र के साथ निविदाकर्ता को अपने स्थापना के पंजीयन का प्रमाण–पत्र, पेन कार्ड, जी.एस.टी. पंजीयन का प्रमाण–पत्र आदि संलग्न करना अनिवार्य होगा **(दस्तावेज संलग्न करें)**

13. वाहन स्टेण्ड संचालन के दौरान ऐसी कोई भी गतिविधि या कार्यवाही नही करेंगे, जिससे कि शासकीय सम्पत्ति व न्यायालय की गरिमा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से क्षति कारित हो अथवा निविदा की शर्त का उल्लंघन हो।

14. वाहन स्टेण्ड का संचालन न्यायालयीन कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 06:30 बजे तक किया जावेगा। साथ ही समय–समय पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा दिये गये निर्देशानुसार ही किया जाएगा।

15. वाहन स्टेण्ड संचालन के दौरान उन्हें आवंटित स्थान में किसी भी प्रकार का निर्माण/संरचना नहीं करेंगे।

16. वाहन स्टेण्ड संचालन में ऐसा अस्थाई निर्माण जो कि व्यवसाय के संचालन में आवश्यक है, पूर्व में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को प्रस्तावित निर्माण की स्थिति को दर्शाते हुये अनुमोदित कराने के उपरांत ही कर सकेंगे,जो शासकीय सम्पत्ति को क्षति कारित करने वाला न हो।

17. वाहन स्टेण्ड हेतु आवंटित स्थान को साफ–सुथरा तथा प्रदूषण से मुक्त रखेंगे तथा किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र या ऑडियो सिस्टम का उपयोग नहीं करेंगे।

18. वाहन स्टेण्ड हेतु आवंटित स्थान को सफल निविदाकर्ता स्वयं संचालित करेगा, किसी अन्य को आवंटित नहीं करेगा। वाहन हेतु आवंटित स्थान या वाहन सुव्यवस्थित रुप से रखेगे। ताकि पक्षकारों एवं वाहनों के आवागमन में कोई व्यवधान न हो।

19. साईकिल/स्कूटर/दो पहिया/चार पहिया वाहन का पार्किंग शुल्क निम्नानुसार होगा :–

1. साईकिल – रुपये 2 प्रतिदिन (प्रातः 10 से सायं 6:30)
2. दो पहिया वाहन – रुपये 5 प्रतिदिन (प्रातः 10 से सायं 6:30)
3. चार पहिया वाहन – रुपये 10 प्रतिदिन (प्रातः 10 से सायं 6:30)

20. वाहन के चोरी चले जाने या नष्ट कर दिये जाने की दशा में ठेकेदार उत्तरदायी होगा।

21. निविदाकर्ता द्वारा पार्किंग शुल्क सूची (समिति के सदस्यों के हस्ताक्षरयुक्त) आम जनता को पढ़ने हेतु लगाई जावेगी एवं निर्धारित दर पर ही आम जनता से पार्किंग शुल्क लिया जावे। अन्यथा वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

22. निविदा स्वीकृत हो जाने के उपरांत निविदा अवधि के दौरान बीच में ही कार्य बंद करने या छोड़ने की दशा में संपूर्ण सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर ली जाएगी।

23. वाहन स्टेण्ड संचालन हेतु बिना आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कम से कम 2 कर्मचारी संचालक नियोजित करना होगा। नियोजित कर्मचारियों की सूची प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अनुमोदित कराई जावेगी। कर्मचारियों को संचालक पहचान–पत्र जारी करेगा, जो कर्मचारी द्वारा पार्किंग स्टेण्ड संचालन अवधि में धारित किये रहेंगे। नियोजित कर्मचारी किसी प्रकार का नशा न करते हो, यह निविदाकर्ता द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।

24. वाहन स्टेण्ड संचालन की अनुज्ञा अवधि समाप्त होने के बाद भी नई अनुज्ञा प्रदान किये जाने की कार्यवाही तक अधिकतम 03 माह तक उसी प्रीमियम राशि पर वर्तमान वाहन स्टेण्ड संचालक को वाहन स्टेण्ड का संचालन करना होगा।

25. निविदा अवधि एक वर्ष की होगी। निविदाकर्ता का कार्य संतोषप्रद पाये जाने की दशा में निविदाकर्ता के आवेदन पर समिति द्वारा संविदा की अवधि उसी दर पर 01 वर्ष के लिये बढ़ाई जा सकेगी।

26. निविदाकर्ता का कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा बिना किसी सूचना के निविदा/अनुबंध समाप्त किये जाने का अधिकार होगा।

27. वाहन स्टेण्ड के संचालन हेतु निविदा फार्म रुपये 1000/– के बैंक ड्राफ्ट निविदा के संबंध में प्रस्तुत करना होगा, जो दिनांक 09.09.2022 को दोपहर 3 बजे तक पूर्ण रुप से भरकर अर्नेस्ट मनी के बैंक ड्राफ्ट के साथ जमा करना होगा। प्राप्त सभी निविदायें दिनांक 09.09.20222 को दोपहर 03:00 बजे से सायं 05:00 बजे न्यायालय भवन के प्रथम मंजिल पर स्थित कान्फ्रेंस हॉल में निविदाकर्तागण/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी और निविदा में बताई गई दरें बोली जाएगी।

28. जिस निविदाकर्ता की निविदा स्वीकार की जाएगी, उसे 03 दिन के अंदर निविदा की शर्तो की पूर्ति करते हुये रुपये 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर अनुबंध–पत्र निष्पादित करना होगा। साथ ही अनमुति दिये जाने के उपरांत 15 दिवस में कार्य प्रारंभ करना होगा अन्यथा उनकी सुरक्षानिधि जब्त कर ली जावेगी।

29. सफल निविदाकर्ता को वाहन स्टेण्ड हेतु निर्धारित प्रीमियम राशि का भुगतान निविदा प्रारंभ होते ही प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास के हक में एक माह की प्रीमियम राशि तत्काल प्रस्तुत करनी होगी। आगामी निर्धारित प्रीमियम राशि का भुगतान प्रत्येक त्रैमासमें 10 तारीख तक आवश्यक रुप से जमा करनी होगी। निविदाकर्ता द्वारा निर्धारित समयावधि में लाईसेंस फीस की राशि जमा न करने की स्थिति में अनुबंध समाप्त कर पार्किंग स्टेण्ड का कब्जा बिना किसी सूचना के प्राप्त कर लिया जावेगा।

30. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को यह अधिकार होगा कि स्टेण्ड संचालन हेतु दिया गया लाईसेंस किसी भी समय बिना कारण बताये, बिना पूर्व सूचना के निरस्त कर दे और उस दशा में ऐसे आवंटितों को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा निर्दिष्ट अवधि में वाहन स्टेण्ड का संचालन अविलम्ब बंद करना होगा अन्यथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को यह अधिकार होगा कि वाहन स्टेण्ड संचालन बंद कराकर आवंटित स्थान रिक्त करा ले। इस संबंध में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश का निर्णय अंतिम और आबद्धकारी होगा।

31. न्यायालयीन कर्मचारियों को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा परिचय–पत्र प्रदान किया जावेगा तथा उनके द्वारा परिचय–पत्र दिखाये जाने पर उनसे पार्किंग शुल्क नहीं लिया जावेगा।

32. अधिवक्तागण को अभिभाषक संघ, देवास द्वारा परिचय–पत्र प्रदान किया जावेगा। अधिवक्तागण द्वारा परिचय–पत्र दिखाये जाने पर उनसे पार्किंग शुल्क नहीं लिया जावेगा।

33. कर्मचारीगण उनके वाहन कर्मचारियों हेतु निर्मित पार्किंग स्टेण्ड में रखेंगे। अधिवक्तागण अपने वाहन अधिवक्ताओं हेतु आरक्षित पार्किंग स्थल पर रखेंगे।

34. निर्धारित समयावधि के उपरांत निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

35. निविदाकर्ता द्वारा किसी भी स्थिति में निर्धारित दरों से अधिक वाहन पार्किंग शुल्क नहीं लिया जावेगा। आमजन को वाहन पार्किंग किये जाने के संबंध में प्रिण्टेड रसीद प्रदान करना होगी जिस पर वाहन पार्किंग का शुल्क एवं वाहन कमांक अंकित करना आवश्यक होगा।

36. निविदाकर्ता न्यायालय परिसर में निर्धारित स्थान पर पार्किंग स्टेण्ड का संचालन करेगा। न्यायालयीन कर्मचारियों के लिये पार्किंग स्टेण्ड का संचालन केवल न्यायालयीन कर्मचारियों हेतु बनाये गये पार्किंग शेड में ही किया जावेगा।

37. निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध की शर्त का उल्लघंन करने पर उसके द्वारा जमा की गई सुरक्षानिधि जब्त कर ली जावेगी अथवा उसमें पेनेल्टी स्वरुप युक्तियुक्त रकम काटी जावेगी।

38. निविदाकर्ता द्वारा पार्किंग स्टेण्ड में आने व जाने वाले वाहनों का रिकार्ड रखने हेतु पृथक से रजिस्टर संधारित किया जाएगा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा या उनके द्वारा अधिकृत न्यायिक अधिकारी/प्रमुख उक्त रजिस्टर का निरीक्षण किय जाने पर निविदाकर्ता द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

39. नगर निगम देवास अथवा अन्य कर जो पार्किंग स्टेण्ड संचालन हेतु दिया जाना है, का भुगतान निविदाकर्ता द्वारा किया जावेगा।

40. निविदाकर्ता द्वारा पार्किंग स्टेण्ड का संचालन कर्मचारियों हेतु निर्मित पार्किंग स्टेण्ड में नहीं किया जावेगा।

41. निविदाकर्ता द्वारा निविदा की शर्तो के अंतर्गत वांछित दस्तावेज, बैंक ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. संलग्न नहीं किये जाने की स्थिति में उनके द्वारा प्रस्तुत निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।

42. निविदा 09/09/2022 को दोपहर 03:00 बजे से सायं 05:00 बजे जिला न्यायालय भवन, देवास के प्रथम तल पर निश्चित कान्फ्रेन्स रुम में निविदाकर्ता/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी। यदि प्रशासनिक कारण से निविदा खुलने की तिथि को अवकाश घोषित होता है, तो ऐसी स्थिति में निविदा अगले कार्य दिवस को नियत समय पर खोली जाएगी।

43. सफल निविदाकर्ता को परफार्मेन्स गारण्टी के रुप में रुपये 40,000/– का राष्ट्रीयकृत बैंक में देय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास के पक्ष में जारी डिमाण्ड ड्राफ्ट पर प्रस्तुत करना होगा। सुरक्षा निधि के रुप में जमा राशि सफल निविदाकर्ता को अनुबंध अनुसार कार्य संतोषजनक होने पर अनुबंध समाप्ति के 60 दिवस उपरांत बिना ब्याज के लौटाई जावेगी। सफल निविदाकर्ता अथवा उसके कर्मचारी द्वारा जिला न्यायालय परिसर में किसी प्रकार का नुकसान किये जाने की स्थिति में नुकसान का व्यय परफार्मेन्स गारण्टी के रुप में जमा राशि से किया जाएगा।

44. सफल निविदाकार को अनुबंध निष्पादन करना होगा। अनुबंध निष्पादन का समस्त व्यय सफल निविदाकार द्वारा ही वहन किया जाएगा।

45. सफल निविदाकार द्वारा निविदा स्वीकृति आदेश जारी होने के 07 दिवस के भीतर अनुबंध निष्पादित न करने की दशा में अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जाएगी।

46. सफल निविदाकार को लाईसेंस फीस का भुगतान 03 समान किश्तों में करना होगा। प्रथम किश्त अनुबंध निष्पादित होने के 07 दिवस के भीतर एवं 3–3 माह के अंतराल में शेष 02 किश्तें जमा करनी होगी।

कार्य का आवंटन – खुली नीलामी

अ. जिला एवं सत्र न्यायालय देवास के पार्किंग स्टैण्ड का संचालन हेतु निविदाकार के चयन का आधार वार्षिक लाईसेंस फीस के लिये खुली नीलामी में अधिकतम बोली लगाने वाले निविदाकार का होगा।

ब. नीलामी दिनांक 10.09.2022 को दोपहर 03:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक की जाएगी। उन्हीं निविदाकारों को नीलामी में भाग लेने की अनुमति होगी जो अर्नेस्ट मनी/सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करेंगे और जो निविदा की न्यूनतम अर्हता पूर्ण करते होंगे।

स. प्रस्तावित निविदाकार के प्रतिनिधि को नीलामी में भाग लेने के लिये अपने अधिकृत प्रतिनिधि को अधिकार–पत्र जारी करना होगा। अधिकार–पत्र के बिना किसी भी व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने नहीं दिया जाएगा।

मध्यस्थता :–

निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध में उल्लेखित शर्तो के अनुसार कर्मचारियों के कार्य की गुणवत्ता अथवा किस भी प्रकार का कोई प्रश्न, दावा, अधिकार, बात या बात के रुप में किसी भी तरह से अनुबंध, अनुमान, निर्देश, आदेश या इस शर्तो अथवा कार्य निष्पादन की विफलता में होने वाले सभी बिन्दुओं विवादों को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को संदर्भित किया जा सकेगा।

13.8.22

(प्रभात कुमार मिश्रा)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
देवास म.प्र.